रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

का.आ. 19(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के उपबंधों के अधीन प्रारंभ किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे व्यष्टि को, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, तारीख 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के भीतर आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे :

परंतु उस समय तक जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित किया जाता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन जारी कार्य कार्ड ;

(ख)(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ;

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड ; या (iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (iv) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (v) किसान फोटो पासबुक ; या (vi) किसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. (1) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(2) मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से आवेदकों या फायदाग्राहियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अधीन कार्य करने के लिए आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके । उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में तारीख 31 मार्च, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा आवेदकों या फायदाग्राहियों से, अपने कार्य कार्ड संख्या, पते, बैंक खातों के ब्यौरों, मोबाइल नंबर आदि जैसे अपने अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पोर्टल पर रजिस्टर करने का अनुरोध किया जा सकेगा और ऐसे अनुरोधों को ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यालय के साथ भी रजिस्टर किया जा सकेगा ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी :

परंतु अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

[सं. के-11011/1/2016-आरई-1(350117)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

S.O. **19**(**E**).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (hereinafter referred to as the Mahatma Gandhi NREGA) launched under the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individuals registered under the Mahatma Gandhi NREGA are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual registered under the Mahatma Gandhi NREGA who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, and in case she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Rural Development or Panchayati Raj, (In-charge MGNREGA) under the State Government or Union Territory Administrations is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centers located within the respective Block or Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, she or he shall be allowed to work under the said Act subject to the production of the following documents, namely:-

(a) job card issued under Mahatma Gandhi NREGA;

(b)(i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2;

(c) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) ration card; or (iii) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988; or (iv) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (v) the Kisan passbook with photo; or (vi) any other document specified by the State Government:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free entitlements to the registered workers under the provisions of the said Act, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to work under Mahatma Gandhi NREGA. They may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017**.** The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) of States Government or Union Territory Administrations is required to create enrolment facilities at the convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, Job card number, address, Bank Account details, mobile number, etc., on a portal and such requests may also be registered with the Gram Panchayat or Block Office.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir:

Provided that different dates may be notified for the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir.

[No. K-11011/1/2016-RE-I(350117)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.05 17:59:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.